संख्या-108/2022/2464/30-3-22-07बी/2007

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 12 अक्टूबर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों के भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाने के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1842ए/2022-80ए/2022, दिनांक 01-09-2022 एवं पत्र संख्या-1876ए/2022-80ए/2022, दिनांक 07 सितम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण में प्रावधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से रू0 145.79 लाख (रू0 एक करोड़ पैंतालीस लाख उन्नासी हजार मात्र) की निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	धनराशि (रू0 लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अलीगढ़।	कार्यालय भवन की टूट-फूट पर प्लास्टर, पुट्टी व रंगाई-पुताई का कार्य।	लोक निर्माण विभाग।	23.06
2.	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, महोबा।	कार्यालय के भवन की रंगाई-पुताई व मरम्मत का कार्य।	लोक निर्माण विभाग।	4.82
3.	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, लखीमपुर-खीरी।	कार्यालय भवन की टूट-फूट पर प्लास्टर, पुट्टी व रंगाई-पुताई का कार्य।	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखीमपुर-खीरी।	25.25
4.	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, भदोही।	कार्यालय भवन की मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं कार्यालय परिसर में जनमानस के लिए एक पुरूष एवं महिला शौचालय का निर्माण।	लोक निर्माण विभाग।	17.42
5.	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, लखनऊ।	कार्यालय भवन की मरम्मत/ अनुरक्षण सम्बन्धी अवशेष कार्य।	यू0पी0 सिडको, लखनऊ-।।	75.24
			योग =	145.79 (रू0 एक करोड़ पैतालीस लाख उन्नासी हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) निर्माण कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाय।

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(6) उक्त कार्यों के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-108/2022/2464(1)/30-3-2022, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।